श्रीधर सी0 *भा0प्र0से0,* समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 26.07.2013 को भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नरकटियागंज के न्यायालय/कार्यालय का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :–

1. समान्य परिचय :–

जिला मुख्यालय बेतिया से 38 कि0मी0 की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित नरकटियागंज कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार, पटना की अधिसुचना संख्या 79 दिनांक 23.03.1991 द्वारा अनुमंडल के रुप में बिहार के मानचित्र पर सृजित हुआ।

इस अनुमंडल का कुल क्षेत्रफल 1,34,022.90 हेक्टेयर है तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल अबादी 9,81,506 है। इस अनुमंडल अन्तर्गत 5 अंचल, 98 पंचायत तथा 584 ग्राम है, जिसमें 42 बेचिरागी है।

2. आर.टी.पी.एस. :–

भूमि सुधार उपसमाहर्ता एल.पी.सी. के प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज सेवा के लिए अपीलीय प्राधिकार है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहां किसी भी आवेदक के द्वारा अपील दायर नहीं किया गया है परंतु उनके द्वारा लौरिया से संबंधित 5 मामलों में सूओमोटो सुनवाई प्रारंभ कर दण्ड अधिरोपित किया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता को निदेश दिया गया कि अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला जनशिकायत कोषांग को उपलब्ध करायेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को पत्र निर्गत कर प्रतिवेदन प्राप्त कर के समेकित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

3. स्थापना :–

भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर श्री आई.ए.अंसारी **दिनांक 20.4.2013** से पदस्थापित हैं। वर्तमान में भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में 2 लिपिक श्री अंजनी कुमार एंव श्री भागेश्वर पाण्डेय पदस्थापित हैं, जो इस कार्यालय के साथ–साथ अनुमण्डलीय राजस्व शाखा के कार्यों का भी सम्पादन करते हैं।

श्री अंसारी से पूर्व पदस्थापित भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं की विवरणी निम्नवत् है :–

क्र	पदाधिकारी का नाम	कब से कब तक
1	2	3
1	श्री शिवेन्द्र त्रिपाठी बि0प्र0से0	....
2	श्री अशोक त्रिपाठी, बि0प्र0से0, प्रभार	05.12.2007 से 13.01.2009 तक
3	श्रीकांत द्विवेदी, बि0प्र0से0	13.01.2009 से 31.07.2009 तक
4	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0 (अनु0 पदा0, प्रभार)	31.07.2009 से 19.09.2009 तक
5	श्री दिनेश कुमार राय, बि0प्र0से0 (अनु0 पदा0, प्रभार)	19.09.2009 से 04.04.2010 तक
6	श्री शंभु शरण पाण्डेय, बि0प्र0से0	04.04.2010 से 20.04.2013 तक
7	श्री आई.ए.अंसारी	20.04.2013 से अब तक

4. पूर्व निरीक्षण :–

निम्नांकित पदाधिकारियों के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नरकटियागंज का पूर्व में निरीक्षण किया गया है :–

क्र	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	2	3
1	डा0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0, समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	27.12.2010
2	श्रीधर सी0, भा0प्र0से0, समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	27.06.2011

5. पत्राचार :–

आगत पत्रों की पंजी पूर्व से संधारित है। विगत तीन वर्षों के आगत–निर्गत पत्रों की स्थित निम्न प्रकार है : –

क्र0	वर्ष	आगत पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2011	217	886
2	2012	260	1138
3	2013	221 (20.7.2013 तक)	1021(20.7.2013 तक)

6. सैरात :–

सैरात पंजी संधारित है। अंचलवार सैरात की स्थिति निम्नवत है–

क्रमांक	अंचल का नाम	वर्ष 2013–14 हेतु जमा निर्धारण के लिए प्राप्त सैरात की संख्या
1	नरकटियागंज	10
2	गौनाहा	16
3	लौरिया	09
4	मैनाटॉड	14
5	सिकटा	18

7. माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय :–

माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय से संबंधित वाद पंजी संधारित है। इस न्यायालय में सी.डब्लू.जे.सी./एम0जे0सी0 से संबंधित एक भी मामला लंबित नहीं है।

8. सूचना का अधिकार :–

सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत पंजी संधारित है। इस कार्यालय में सूचना के अधिकार से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है।

9. जनशिकायत :–

मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव एंव लोकायुक्त स्तर से कुल 139 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसकी जांच करायी गयी। कुल प्राप्त शिकायतों में से 96 मामले का निष्पादन किया जा चुका है [illegible] आवेदन पत्र अंचल स्तर पर लंबित है। जिला जनता दरबार से कुल 555 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें 80 मामले का निष्पादित किया जा चुका है, शेष 475 आवेदन पत्र जांच एवं समुचित कार्रवाई हेतु

4. पूर्व निरीक्षण :–

निम्नांकित पदाधिकारियों के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नरकटियागंज का पूर्व में निरीक्षण किया गया है :–

क्र	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	2	3
1	डा0 बी0 राजेन्दर, *भा0प्र0से0*, समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	27.12.2010
2	श्रीधर सी0, *भा0प्र0से0*, समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	27.06.2011

5. पत्राचार :–

आगत पत्रों की पंजी पूर्व से संधारित है। विगत तीन वर्षों के आगत–निर्गत पत्रों की स्थित निम्न प्रकार है : –

क्र0	वर्ष	आगत पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2011	217	886
2	2012	260	1138
3	2013	221 (20.7.2013 तक)	1021(20.7.2013 तक)

6. सैरात :–

सैरात पंजी संधारित है। अंचलवार सैरात की स्थिति निम्नवत है–

क्रमांक	अंचल का नाम	वर्ष 2013–14 हेतु जमा निर्धारण के लिए प्राप्त सैरात की संख्या
1	नरकटियागंज	10
2	गौनाहा	16
3	लौरिया	09
4	मैनाटॉड	14
5	सिकटा	18

7. माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय :–

माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय से संबंधित वाद पंजी संधारित है। इस न्यायालय में सी.डब्लू.जे.सी./एम0जे0सी0 से संबंधित एक भी मामला लंबित नहीं है।

8. सूचना का अधिकार :–

सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत पंजी संधारित है। इस कार्यालय में सूचना के अधिकार से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है।

9. जनशिकायत :–

मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव एंव लोकायुक्त स्तर से कुल 139 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच करायी गयी। कुल प्राप्त शिकायतों में से 96 मामले का निष्पादन किया जा चुका है, शेष 43 आवेदन पत्र अंचल स्तर पर लंबित है। जिला जनता दरबार से कुल 555 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें 80 मामले का निष्पादित किया जा चुका है, शेष 475 आवेदन–पत्र जाच एंव समुचित कार्रवाई हेतु

संबंधित अंचलों को भेजा गया है। एक पक्ष के अंदर सभी शिकायतों का निष्पादन निश्चित रूप में सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

10. दाखिल–खारिज अपील वाद पंजी–

दाखिल–खारिज अपील वाद पंजी संधारित है एंव अद्यतन है। गत्त वित्तीय वर्ष 2012–13 का दिनांक 1.4.13 तक 16 वाद लंबित है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में 20.7.13 तक कुल 20 वाद दायर हुए हैं जिसमें अब तक 19 वाद निष्पादित हुए है, शेष 17 वाद लंबित है जो सुनवाई में चल रहा है।

11. बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम 2009 :–

बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम 2009 वाद पंजी संधारित है तथा अद्यतन है। गत वित्तीय वर्ष 2012–13 का (दिनांक 1.4.13 तक) 48 वाद लंबित है तथा चालू वितीय वर्ष 2013–14 में 20.7.13 तक कुल 105 वाद दायर हुए हैं, जिसमें अब तक कुल 68 वाद निष्पादित हुए हैं, शेष 85 वाद लंबित है जो सुनवाई में चल रहा है। दायर एवं निष्पादित वादों से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

क्र	अंचल का नाम	कुल दायर वाद	कुल निष्पादित वाद	03 माह से अधिक समय से लंबित वाद	कुल लंबित वाद
1	नरकटियागंज	36	21	2	15
2	गौनाहा	22	10	01	12
3	सिकटा	26	16	01	16
4	मैनाटांड़	19	16	03	16
5	लौरिया	21	3	01	18
कुल :–		**124**	**66**	**8**	**77**

1. वाद संख्या 198/12–13 के अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद मकसुद आलम के द्वारा दिनांक 05.03.2013 को दायर किया गया है। वाद में आवेदक का कथन है कि उनके पक्ष में जमाबंदी सृजित है। वादी के द्वारा अंचल के द्वारा निर्गत सीमांकन प्रतिवेदन प्रेषित कर विपक्षीगण के उनके जमीन पर जबरन दखल की प्रमाण के साथ जमीन को सुपुर्द करने का आवेदन दिया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नरकटियागंज द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण संख्या–3 के द्वारा कोई पक्ष जमीन पर नहीं रखने की बात बतायी गयी है। सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2013 की तिथि निर्धारित की गयी है।
2. वाद संख्या 29/12–13 शेख नुरूल होदा के द्वारा दिनांक 26.02.2013 को दायर किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी एक बार हाजरी देकर लगातार अनुपस्थित रहने के कारण वाद का निष्पादन लंबित है। वाद में नोटिस निर्गत कर अंतिम सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है।
3. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तीन महीने से अधिक समय के मामले में कतिपय मामले ऐसे थे जो आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के यहां अपील दायर होने के बाद पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त होते हैं। अतः ऐसे मामलों के निष्पादन हेतु प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अंतर्गत संचालित वादों को त्वरित गति से निष्पादित हेतु निम्नांकित निदेश दिए गए :–

1. आवश्यकता के अनुसार नोटिस की सामान्य तामिला प्रक्रिया से अधिक रजिस्टर्ड डाक का प्रयोग करें।
2. वाद दायर करने वाले व्यक्ति से विवाद से संबंधित सभी कागजातों को आवेदन के साथ ही जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. अनावश्यक रूप से बिना बहस किए वादों में सुनवाई की तिथि में लंबे अंतराल का समय नहीं दें।
4. दोनों पक्षों से लिखित बहस प्राप्त करके सुनवाई करें।
5. यथा संभव एक अंचल से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई हेतु एक ही तिथि निर्धारित करें। आवश्यकता पड़नेवाले पर सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी को सभी कागजातों के साथ उपस्थित होने का निदेश निर्गत कर सकते हैं।
6. सभी प्रकार के स्थल निरीक्षण से संबंधित जांच प्रतिवेदन पर हल्का कर्मचारी/अंचल अधिकारी का निरीक्षण की तिथि एवं समय, उपस्थित लोगों का हस्ताक्षर एवं तिथि प्राप्त करें।
7. तीन महीने के अंदर यथा संभव सभी निदेशों का समय सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

12. बटाईदारी :–

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 48 (ई) के अंतर्गत दायर कुल वाद 42 में से कोई भी वाद का निष्पादन नहीं किया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता को निदेश दिया गया कि वे अंचल वार वादों की सूची तैयार कर सुनवाई सुनिश्चित कर निष्पादन सुनिश्चित करें।

वाद संख्या 15/11–12 के अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद दिनांक 26.12. 2011 को अंगीकृत किया गया है। इस वाद को प्रारंभ करने की तिथि से अब तक कोई भी वादी उपस्थित नहीं हुआ है। उसे अंतिम रूप से नोटिस निर्गत कर के निष्पादन सुनिश्चित करें।

कास्तकारी से संबंधित जो भी मामले प्राप्त होते हैं उन्हें प्रथम वार सुनवाई के बाद बोर्ड के गठन का प्रावधान है। बिना बोर्ड के गठन के बिना माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में वाद का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में बोर्ड गठित करके वाद का निष्पादन सुनिश्चित करें।

13. निलाम–पत्र–

मैनाटांड़ एंव सिकटा अंचल के कुल 1394 निलाम पत्र वाद प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पंजी 10 में पंजीकृत कर दिया गया है। तत्काल 1143 अभिलेख सुनवाई में है। कुल अभिलेखों में सन्निहित राशि 8062488.55 है, जिसके विरूद्ध 132 अभिलेखों की सन्निहित राशि 31,01,032 रूपये की वसूली की जा चुकी है। वत्तर्मान में निलाम पत्र वादों की सुनवाई भूमि सुधार उप समाहर्ता नरकटियागंज को शक्ति प्रदत्त नहीं होने के कारण स्थगित है। जिला निलाम पत्र पदाधिकारी से पत्राचार कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

14. भू–हदबंदी 16(3)–

भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) से संबंधित [illegible] है। गत वित्तीय वर्ष 2012–13 को दिनांक 1.4.13 तक 2 वाद लंबित है तथा चालू वित्तीय वर्ष में 20.7.13 तक कुल 01 वाद दायर हुए हैं कुल 3 में 01 वाद निष्पादित हो चुका है एवं 02 वाद सुनवाई में चल रहा है।

15. भू–हदबंदी :–

भू–हदबंदी के कुल 19 मामले लंबित प्रतिवेदित है। ये सभी मामले भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 10 (3) के अधीन है। अनुमंडल भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं वे निम्नवत हैं :–

क्र	वाद संख्या (धारा)	पक्षकार	अंचल	कुल रकबा (एकड़ में)	अधिशेष घोषित रकबा(ए.)	आपत्ति का प्रकार	निष्पादन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51/75–76 धारा 10 (3)	मो0 इसरायल मियां	मैनाटांड़	63.88	1.32	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	19.09.2011 को निष्पादित
2	54/73–74 धारा 10 (3)	फते महम्मद खां	नरकटियागंज	89.06	58.57	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
3	23/75–76 धारा 10 (3)	शेख खलील	मैनाटांड़	102.32	62.20	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
4	138/75–76 धारा 10 (3)	शेख इसहाक	नरकटियागंज	61.36	24.59	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
5	51/73–74 धारा 10 (3)	अब्दुल गफूर	नरकटियागंज	81.87	33.02	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	20.06.2012 को निष्पादित
6	129/75–76 धारा 10 (3)	सोना देवी	गौनाहा	43.42	27.17	धारा 10 (3)	सुनवाई में
7	20/73–74 धारा 10 (3)	शेख निजामुद्दीन	सिकटा	93.22	8.59	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
8	65/75–76 धारा 10 (3)	महम्मदीन मियां	नरकटियागंज	103.35 1/2	43.36	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
9	219/78–79 धारा 10 (3)	अब्दुल शमीम	नरकटियागंज	25.75	0.47	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
10	85/81–82 धारा 10 (3)	शेख सलीम	नरकटियागंज	92.39	57.37	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
11	35/82–83 धारा 10 (3)	रमेश प्रसाद वर्मा	गौनाहा नरकटियागंज	95.59	65.59	धारा 10 (3)	सुनवाई में
12	218/75–76 धारा 10 (3)	शहाबुद्दीन बारी	गौनाहा नरकटियागंज	182.97	167.97	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
13	35/39/73–74 धारा 10 (3)	शैलबाला वर्मा	गौनाहा नरकटियागंज	168.75	148.75	धारा 10 (3)	सुनवाई में
14	10/76–77 धारा 10 (3)	सावित्री देवी	लौरिया	166.86	46.40	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
15	9/74–75 धारा 10 (3)	श्याम रतन गिरि	मैनाटांड़ सिकटा नरकटियागंज	100.00	16.15	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
16	14/6/73–74 धारा 10 (3)	लक्ष्मीकांत राय	लौरिया	94.71	64.71	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
17	56/74–75 धारा 10 (3)	रामचन्द्र साह	नरकटियागंज	227.17	173.45	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
18	[illegible] धारा 10 (3)	[illegible]	नरकटियागंज	[illegible]	[illegible]	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
19	203/75–76 धारा 10 (3)	[illegible]	नरकटियागंज	172.70	137.70	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में

भूमि सुधार उपसमाह... न्यायालय में लंबित भू–हदबंदी वादों की अंचल वार वर्गीकरण करके जिस वाद में सत्या... की आवश्यकता हो, टीम गठित कर सत्यापन कराकर प्राथमिकता के आधार पर 3 माह के ...दर सभी वादों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

16. निष्कर्ष :–

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नर...कटियागंज को भूमि विवाद निराकरण अधिनियम एवं अन्य राजस्व अधिनियम के अंतर्गत लंबित ...मलों की सुनवाई करने तथा क्षेत्र स्तर पर थानावार शिविर न्यायालय आयोजित कर मामलों का निष्पादन करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही अधीनस्थ अंचल अधिकारियों के द्वारा निष्पादित होने वाले विभिन्न राजस्व वादों की अनुश्रवण करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त निरीक्षण टिप्...णी में दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अंद... प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(श्रीधर सी०)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1490 /गो0, दिनांक 20 / 08 /2013

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व प्रशाखा, बेतिया/आई0टी0मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1490 /गो0, दिनांक 20 / 08 /2013

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।